सुरेन्द्र कौशिक एवं अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 305/2013)

फरवरी 14, 2013

{के.एस. राधाकृष्णन एवं दीपक मिश्रा, जेजे.}

एफआईआर-एक ही घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज करना-अनुज्ञेय-एक ही घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज करना स्वीकार्य नहीं है-हालांकि, समानता की अवधारणा में काउंटर एफआईआर दर्ज करना शामिल नहीं है- निषेध एक ही शिकायतकर्ता द्वारा एक ही आरोपी के विरूद्ध आगे की शिकायत के लिए है-वर्तमान मामले, एफआईआर में आरोप अलग-अलग है और इसे प्रति शिकायत माना जा सकता है-समानता का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता है- इसलिए पहली एफआईआर के अस्तित्व के कारण दूसरी एफआईआर रद्द करने योग्य नहीं है-भारतीय संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227।

वर्तमान अपील में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या एफआईआर दर्ज होने और जांच शुरू होने के बाद दूसरी एफआईआर उसी घटना के

संबंध में, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देश के आधार पर धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पंजीकृत की जा सकती है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए मानाः

1. एक ही घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं है। समानता की अवधारणा को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया गया है। इसमें समान या संबंधित संज्ञेय अपराध से संबंधित काउंटर एफआईआर दर्ज करना शामिल नहीं है। जो प्रतिबंधित है वह यह कि उसी शिकायतकर्ता और अन्य लोगों द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ बाद में आगे कोई भी शिकायत करना है। मामला सीआरपीसी के तहत दर्ज होने के बाद, उस संबंध में जांच शुरू हो चुकी होगी और आगे की शिकयत दर्ज करने की अनुमति देने से मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों में सुधार होगा। निषेधाज्ञा पहली एफआईआर में आरोपी द्वारा एक ही घटना के एक अलग संस्करण का आरोप लगाते हुए लगाए गए आरोपों को कवर नहीं करती है। इस प्रकार, एक ही घटना के संबंध में प्रतिद्वंदी संस्करण अलग-अलग आकार लेते है और उस स्थिति में, दो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है। (पैरा 24) (1067-जी-एच; 1068-ए-सी)

2. वर्तमान मामले में, यदि आरोपी व्यक्तियों की संख्या और आरोपों की प्रकृति की संलिप्तता की जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर एफआईआर का एक अलग स्पेक्ट्रम होता है। लगाए गए आरोप अलग-

अलग है। इसे एक जवाबी शिकायत माना जा सकता है और यह नहीं कहा जा सकता कि पहली एफआईआर में शामिल आरोपों को सुधारने का प्रयास किया गया है। यह कहना असंभव है कि समानता का सिद्धांत आकर्षित होता है। यदि उक्त सिद्धांत को मौजूदा मामले में लागू किया जाता है और एफआईआर को रद्द करके जांच को बाधित कर दिया जाता है, तो अन्य दो एफआईआर में शिकायतकर्ता न्याय से वंचित हो जाएंगे। अपीलकर्ताओं ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन यह अन्य पीडितों को एफआईआर के पंजीकरण हेतु निर्देश प्राप्त करने के लिए न्यायालय का रूख करने से वंचित नहीं करती है। क्योंकि पहली एफआईआर में शिकायतकर्ता सहित अन्य आरोपी व्यक्ति जालसाजी और दस्तावेजों की कूट रचना में शामिल थे और वैधानिक प्राधिकरण से लाभ प्राप्त कर रहे थे। यह कहना कि यह समान कारण और समान घटना से संबंधित दूसरी एफआईआर है और घटना में समानता है और मामले को सुधारने का प्रयास किया गया है, सही नहीं है। इसलिए, यह दलील कि चौथे प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर दूसरी एफआईआर है और इसलिए, रद्द किए जाने योग्य है, स्वीकार्यता के योग्य नहीं है। (पैरा 25) (1068-जी-एच; 1069-ए-ई)।

उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश व अन्य (2004) 13 एस.सी.सी. 292-पर भरोसा किया।

अमरावती व अन्य बनाम यूपी राज्य 2005 सीआरएल। एल.जे. 755; लाल कमलेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य। (2009)4 एससीसी 437 2009 (4) एससीआर 1027; हरियाणा राज्य और अन्य। वी. भजन लाल व अन्य। 1992 पूरक (1) एससीसी 335 1990 (3) पूरक एससीआर 259; टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य व अन्य। (2001) 6 एससीसी 181 2001 (3) एससीआर 942; पांडुरंग चन्द्रकांत म्हात्रे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 10 एससीसी 773 2009 (15) एससीआर 58; बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य व अन्य। (2010) 12 एससीसी 254 2010 (10) एससीआर 651; रामलाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 2 एससीसी 322; राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरू (2005) 11 एससीसी 600 2005 (2) पूरक। एससीआर 79; राम मोहन गर्ग बनाम यूपी राज्य। (1990) 27 एसीसी 438; कारी चौधरी बनाम सीता देवी (2002) 1 एससीसी 714 2001 (5) पूरक। एससीआर 588; बिहार राज्य बनाम जे.ए.सी. सलदान्हा (1980) 1 एससीसी 554 1980 (2) एससीआर 16; रमेश बाबूराव देवस्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 13 एससीसी 501 विक्रम बनाम महाराष्ट्र (2007) 12 एससीसी 332-संदर्भित

विधि मामला संदर्भः

2005 सीआरएल. एल.जे. 755 पैरा 3	उल्लेख किया गया
2009 (4) एससीआर 1027 पैरा 3	उल्लेख किया गया
1990 (3) पूरक एससीआर 259 का पैरा 8	उल्लेख किया गया
2010 (10) एससीआर 651 पैरा 8	उल्लेख किया गया
2005 (2) पूरक एससीआर 79 पैरा10	उल्लेख किया गया
(1979) 2 एससीसी 322 पैरा13	उल्लेख किया गया
2001 (3) एससीआर 942 पैरा14	उल्लेख किया गया
(2004) 13 एससीसी 292 पैरा16	उल्लेख किया गया
(1990) 27 एसीसी 438 पैरा16	उल्लेख किया गया

2001 (5) पूरक एससीआर 588 पैरा18	उल्लेख किया गया
1980 (2) एससीआर 16 पैरा18	उल्लेख किया गया
2009 (15) एससीआर 58 पैरा21	उल्लेख किया गया
2001 (3) एससीआर 942 पैरा21	उल्लेख किया गया
(2007) 13 एससीसी 501 पैरा21	उल्लेख किया गया
2007 (6) एससीआर 185 पैरा21	उल्लेख किया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 305/213

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 15077/2012 मेंउच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश के निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.10.2012 से

नगेन्द्र राय, आर.के. दाश, अल्ताफ अहमद, स्मारहर सिंह, शांतनु सागर, अभिषेक कुमार सिंह, गोपी रमन, चन्द्र प्रकाश, अभिष्ठ कुमार, अर्चना सिंह, अशोक कुमार श्रीवास्तव- उपस्थित पक्षकारान के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. द्वारा सुनाया गया। 1 अनुमति स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील, विशेष अनुमति द्वारा, 2012 की आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 15077 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2012 के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने एफआईआर नंबर 442/2012 जो पी.एस.- सिविल लाईन्स मेरठ में दर्ज की गई जिसमें उत्पन्न अपराध संख्या 491/2012 दण्डनीय अपराध अन्तर्गत धारा 406,420,467,468,471,504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में "भा.द.सं. ") को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

3. सबसे पहले, यह कहा जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ताओं ने दो आधारों पर एफआईआर को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को आहूत किया था। पहला, कि आपराधिक कानून को अमल में लाने के लिए कोई प्रथम दृष्ट्या मामला मौजूद नहीं हैं और दूसरा, जब कार्रवाई का कारण और आरोपों के समान, और अभिन्न कारण पर, अपराध संख्या 475/2012 के अनुरूप एफआईआर संख्या 425/2012

पहले ही दर्ज कर लिया गया था, दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी और उस पर विचार नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय, ने आपेक्षित आदेश द्वारा, राय दी है कि यह नहीं माना जा सकता है कि कोई भी प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है और उसके बाद अमारवती व अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य और लाल कमलेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय के मद्देनजर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और अंतरिम जमानत देने के संबंध में कुछ निर्देश जारी करने के लिए आगे बढा।

4. हम आदेश के दूसरे भाग का उल्लेख नहीं कर रहे है क्योंकि इस संबंध में विवाद वर्तमान मामले में इस न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। दूसरी एफआईआर के पंजीकरण की वैधता पर हमले पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया है-। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागेन्द्र राय ने एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामले के अस्तित्व के संबंध में कोई तर्क नहीं उठाया और यह सही भी है लेकिन कार्यवाही के समान कारण और उसी घटना के संबंध में पिछली एफआईआर दर्ज होने के बावजूद दूसरी एफआईआर पर विचार करने की वैधता से संबंधित प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से सामने रखा। इसलिए, हम अपना वर्णन केवल उक्त प्रहरी मुद्दे तक ही सिमित रखेंगे।

5. इस अपील में जो तथ्यात्मक पृष्ठभूमि सामने आयी है और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से ये स्पष्ट है कि एफआईआर संख्या 274/2012 अपील कर्ता नंबर 1 सुरेन्द्र कौशिक द्वारा 29.05.2012 को संजीव मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी के सचिव के रूप में डॉ. सुभाष गुप्ता, डॉ. हर्ष गुप्ता और युनुस पहलवान, सोसायटी के सदस्यों के विरूद्ध दर्ज करायी थी जिसमें ये आरोप लगाया कि उन्होनें एक सूर्यप्रकाश जालान के साथ मिलकर फर्जी और कपटपूर्ण दस्तावेज तैयार किये, आगे यह आरोप लगाया कि सोसायटी की विभिन्न सामान्य/कार्यकारी बैठकों में उनकी भागीदारी का संकेंत देते हुये उनके जाली हस्ताक्षर किये गये थे, हालांकि वे उक्त बैठकों में शामिल नहीं हुये थे। उक्त एफआईआर के आधार पर आईपीसी की धारा 420,467,468 और 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

6. एक डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 156(3) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्तता के लिए ''सहिता) की धारा के तहत प्रस्तुत किया तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया कि वह कभी भी संजीव मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी, गाजीयाबाद का सदस्य नहीं था और इसके अलावा वह सोसायटी की बैठकों में भी उपस्थित नहीं था जो बैठकें 01.10.2008 और 16.04.2009 को हुयी थी और ना ही वह उक्त बैठकों में पारित प्रस्तावों का हस्ताक्षरकर्ता था। आवेदन में आगे यह भी कहा गया कि आरोपी व्यक्ति, पी.सी. गुप्ता, सीमा गुप्ता, सुरेन्द्र कौशिक, कमलेश शर्मा

और विमल सिंह द्वारा फर्जी हस्ताक्षरों के साथ एक हल्फनामा दिनांक 15.12.2008 को तैयार किया था और उपरजिस्टार, सोसायटी चिट एण्ड फण्ड, मोहनपुरी, मेरठ के समक्ष दायर किया था। उक्त याचिका पर विचार किया गया था और विद्वान मजिस्ट्रेट के निर्देश के आधार पर एक एफआईआर संख्या 425/2012 अंतर्गत आईपीसी की धारा 406,420,467,468,471,504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनंाक 21.08.2012 को दर्ज की गई थी।

7. जैसे-जैसे तथ्य सामने आएंगे, एफआईआर नंबर 442/2012 जिस पर अपराध क्रमांक 491/2012 दिनांक 04.09.2012 को दर्ज किया गया था, और नोट करना उचित है कि उक्त एफआईआर संहिता की धारा 156(3) के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर दर्ज की गई थी। उक्त मामले में शिकायतकर्ता श्रीमती निधि जालान, सोसायटी के प्रबंधक निकाय के सदस्यों में से एक थी, और यह आरोप लगाया गया था कि वह उस सोसायटी की सदस्य है जो एक शैक्षणिक संस्थान है, नाम मेयो इंटरनेशनल स्कूल चलाती है, और आरोपी, व्यक्ति, नाम पी.सी. गुप्ता, सीमा गुप्ता, विकास जैन, भावना जैन, सुशील जैन, शुभी जैन, सुरेन्द्र कौशिक, कमलेश शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, वीरेन्द्र भारद्वाज, विमल सिंह और रेनू शर्मा ने साजिश रचकर विभिन्न तिथियों पर आयोजित बैठकों से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार किये थे, सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर सोसायटी की संपत्ति/निधि हड़पने के सामान्य इरादे से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर

किए गए। मालूम हो कि सदस्यों ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र दायर कर कहा कि उन्होनें कभी भी स्कूल प्रबंधन की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया और किसी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किये। जैसा कि पहले ही बताया गया है, उक्त एफआईआर आईपीसी की धारा 406,420,467,468,471,504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागेंन्द्र राय द्वारा निवेदित किया गया है कि एफआईआर संख्या 442/2012 दर्ज नहीं की जा सकती थी और उस पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि कानून उसी संज्ञेय अपराध के संबंध में दूसरी एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाता है और उन्होनें यह प्रतिपादित किया कि जब आपराधिक कानून को क्रियान्वित करने में कोई कानूनी बाधा आती है, तो हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजनलाल एवं अन्य मामले में पारित निर्णय आकर्षित हो जाता है। इस तर्क को मजबूत करने के लिए कि दूसरी एफआईआर पर विचार नहीं किया जा सकता था, विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य व अन्य, पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य व अन्य के फैसलों की अनुशंसा की।

9. श्री आर.के. दाश राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसके विपरीत निवेदित किया कि कानून में दूसरी एफआईआर दर्ज करने पर कोई पूर्ण

प्रतिबंध नहीं है और इससे भी अधिक, जब आरोप अलग-अलग स्पेक्ट्रम से लगाये जाते है या उस मामले के लिए जब अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग संस्करण प्रस्तुत किये जाते है। उनका आग्रह है कि अपीलकर्ताओं द्वारा जिन आदेशों पर भरोसा किया गया है वे तथ्यों के आधार पर अलग-अलग है और उनमें निर्धारित कानून का प्रस्ताव मौजूद मामले पर लागू नहीं होता है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देंगे कि रामलाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली) और उपकार सिंह बनाम वेदप्रकाश एवं अन्य मामले में प्रतिपादित सिद्धांत मौजूदा मामले में आकर्षित होते है।

10. शिकायतकर्ता, चौथे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अल्ताफ अहमद ने निवेदित किया है कि कुछ अवसरो पर तथ्यों का एक ही सैट अलग-अलग अपराधों का गठन कर सकता है और जब दो अलग अलग अपराध होते हैं, जिनमे अलग अलग तत्व होते हैं तो दोनों एफ.आई.आर. दर्ज करने पर प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ अवसरो पर दो एफआईआर मे कुछ परस्पर व्यापक लक्षण हो सकते हैं, लेकिन यह आरोपो का सार है, जिसे देखना चाहिए और यदि प्रतिबंधित दृष्टिकोण लिया जाता है तो कोई भी काउण्टर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे यह भी कहेगे कि पुलिस की जांच को विफल नही किया जा सकता है और आरोपी व्यक्तियों को इस तरह से भागने का मार्ग प्रशस्त करने की अनुमति नही दी जा सकती है। उनके द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कार्रवाई या अपराध के एक ही

कारण के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज करना इस सिद्धात पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसे अपराध है जिनमें विशिष्ट सामग्री और परस्पर व्यापक लक्षण है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन आमंत्रित नही किया जायेगा। राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू उर्फ अहसान गुरू में फैसले की हमें अनुशंसा की है।

11. संहिता का अध्याय xii पुलिस को दी जाने वाली जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियों से संबंधित है। जैसा कि संहिता की धारा 154 के तहत प्रदान किया गया है, किसी संज्ञेय अपराध के गठित होने से संबंधित मौखिक या लिखित रूप से दी गयी प्रत्येक जानकारी को संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली एक पुस्तक में दर्ज किया जाना आवश्यक है। जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है उक्त प्र.सू.रि. एक संज्ञेय मामले से संबंधित होनी चाहिए। संहिता की धारा 2 (सी) संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है, जो संज्ञेय मामलों से भी संबंधित है। यह इस प्रकार है:-

'संज्ञेय अपराध'' का अर्थ है ऐसा अपराध जिसके लिए, और ''संज्ञेय मामला' का अर्थ है ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी, प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

12. यदि प्राथमिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो एफआईआर पंजीकृत की जाती है और आपराधिक कानून लागू किया जाता है और अधिकारी थानाप्रभारी जांच करते हैं। इस मामले में विचारणीय प्रश्न यह उभरकर सामने आया है कि क्या एफआईआर दर्ज होने और कार्यवाही शुरू होने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 156(3) के तहत जारी निर्देश के आधार पर दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

13. उठाये गये मुद्दे की उचित सराहना के लिए कुछ अधिकारियों को उल्लेखित करना आवश्यक है, जो महत्वपूर्ण प्रकाश डालेंगे कि किन परिस्थितियो में दूसरी एफआईआर का विचारण निषिद्ध है। रामलाल नारंग (पूर्व) में यह अदालत एक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निपट रही थी, जहां दो एफआईआर दर्ज की गयी थी और दो आरोप पत्र दायर किये गये थे। खण्डपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जो साजिश दूसरे मामले की विषय वस्तु थी, उसे उस षड्यंत्र के समान नहीं कहा जा सकता जो पहले मामले की विषयवस्तु थी और इसके अलावा षड्यंत्रकर्ता अलग-अलग थे। हालांकि षड्यंत्र जो पहले मामले की विषयवस्तु थी, शायद यह कहा जा सकता है कि वह उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गयी, जो दूसरे मामले की विषयवस्तु थी। विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के बाद यह राय दी गयी कि ऐसे अवसर आ सकते हैं, जब पहली जांच से स्वतंत्र रूप से शुरू की गयी दूसरी जांच पहली जांच में शामिल अपराधों के व्यापक श्रेणी

के अपराधों का खुलासा कर सकती है। इस दृष्टिकोण के होने से कोर्ट को बाद की एफआईआर के आधार पर जांच में कोई खामी नहीं मिली।

14. टी.टी. एन्टनी (पूर्व) में, आरोपी की ओर से यह प्रचारित किया गया था कि उसी घटना के संबंध में संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर के रूप में नई जानकारी का पंजीयन वैध नहीं था और इसलिए उसके अनुरूप उठाये गये सभी कदम जिनमें जांच सहित उससे जुडी बाते अवैध थी और रद्द किये जाने योग्य थी। खण्डपीठ ने संहिता की धारा 154, 155, 156, 157, 162, 169, 170, 173 के प्रावधानों की योजना का विश्लेषण करते हुए पाया कि संज्ञेय अपराध के गठित होने के संबंध में केवल सबसे प्रारंभिक या पहली सूचना, संहिता की धारा 154 की आवश्यकताओं को पूरा करती है और इसलिए कोई दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती है, और परिणामस्वरूप एक ही संज्ञेय अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली एक ही घटना या घटना के संबध्ंा में प्रत्येक बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है। आगे यह देखा गया कि किसी संज्ञेय अपराध या किसी संज्ञेय अपराध या अपराधों को जन्म देने वाली घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर और स्टेशन हाउस डायरी में एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न केवल एफआईआर में रिपोर्ट किये गये संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है बल्कि एक ही लेनदेन या एक ही घटना के दौरान किये गये अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होती है और एक या

अधिक रिपोर्ट दर्ज करनी होती है जैसा कि संहिता की धारा 173 में प्रावधानित है।

15. यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त मामले मे दो न्यायाधीशों की ई-बैंच ने रामलाल नारंग (पूर्व) में दिये गये फैसले को समझाते और विशिष्ट करते हुये राय दी कि अदालत ने संकेत दिया था कि असली सवाल यह था कि क्या दोनों षड्यंत्रों में सच्चाई व सार एक समान था और माना गया कि दोनों मामलो में षड्यंत्र एक जैसे नहीं थंे। इसमें आगे कहा गया कि कोर्ट ने दूसरी एफआईआर की अवैधता और उस पर आधारित जांच के दूषित होने के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क को खारिज नहीं किया। लेकिन तथ्यों के आधार पर पाया कि सच्चाई और सार में दोनों एफआईआर अलग-अलग थी, चूंकि पहला छोटा षड्यंत्र था तथा दूसरा बडा षड्यंत्र था जो आखिरकार सामने आया। इसके बाद बैंच ने इस प्रकार समझाया;

> "1973 द.प्र.सं. विशेष रूप से धारा 173 द.प्र.स. की उपधारा (2) के तहत रिपोर्ट अग्रेषित करने के बाद आगे की जांच करने और धारा 173 (8) द.प्र.सं. के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को आगे की रिपोर्ट अग्रेषित करने का प्रावधान करती है। यह इस प्रकार है कि यदि दो एफआईआर मे आरोपों की गंभीरता- पहला और दूसरा - सच्चाई में व सार में समान है, दूसरी एफआईआर दर्ज करना और नये सिरे से

जांच करना व धारा 173 द.प्र.सं. के तहत रिपोर्ट अग्रेषित करना अनियमित होगी और अदालत इसका संज्ञान नहीं ले सकता।''

''16. उपकार सिंह (पूर्व) में तीन न्यायाधीशो की पीठ टी.टी. एन्टनी (पूर्व) के मामले में कानून की शुद्धता से संबंधित मुद्दे को संबोधित कर रही थी। बड़ी पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 20 मई 1995 को सुबह 10 बजे ग्राम फहीमपुर कलां के सीखेड़ा पुलिस स्टेशन में पहले प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता और कुछ अन्य व्यक्तियो के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गयी थी। उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 452 और 307 के तहत अपराध दर्ज किया था। अपीलकर्ता ने उसी घटना के संबध में उत्तरदाताओं के खिलाफ भा.द.स.ं की धारा 506 और 307 के तहत दण्डनीय अपराध करने की शिकायत उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ की थी। चूंकि उक्त शिकायत पर संबंधित पुलिस द्वारा विचार नही किया गया था इसलिए बाध्यकारी परिस्थितियों में उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख संहिता की धारा 156 (3) के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथमदृष्ट्या मामला पाते

हुए संबधित पुलिस स्टेशन को उक्त शिकायत में आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी जांच करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। उक्त निर्देश के आधार पर भा.द.स. की धारा 147, 148, 149, 307 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए अपराध संख्या 48-ए/1995 दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट के निर्देश को चुनौती देते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उक्त निर्देश को रद्द कर दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक विविध याचिका दायर की गयी थी और उच्च न्यायालय ने राममोहन गर्ग बनाम यू.पी. राज्य में अपने पहले के फैसले के अनुसरण में पुनरीक्षण को खारिज कर दिया था। इस मुद्दे से निपटते समय इस न्यायालय ने टी.टी. एन्टनी (पूर्व) के पैराग्राफ 18 का उल्लेख किया एवं नोट किया कि इसे कैसे समझाया गया था:-

11. टी.टी. एन्टनी के उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने एक ही घटना से उत्पन्न होने वाली दूसरी शिकायत दर्ज करने पर रोक लगाने वाली संहिता के रूप में समझा है। यह उस आधार पर है और उक्त टी.टी. एन्टनी के निर्णय पर

निर्भर करते हुये हमारे सामने एक तर्क दिया गया है कि एक बार एक पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद काउन्टर केस की प्रकृति में दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है और उक्त दूसरी शिकायत के आधार पर कोई जांच नहीं की जा सकती है।

17. ऐसा देखने के बाद न्यायालय ने माना कि टी.टी. एन्टनी (पूर्व) में निर्णय वास्तव में कानून के ऐसे प्रस्ताव को निर्धारित नही करता है, जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने समझा है, बैंच ने टी.टी. एन्टनी (पूर्व) के तथ्यात्मक कारण का उल्लेख किया और इस प्रकार समझाया:-

उपरोक्त फैसले को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता कि इस न्यायालय ने टी.टी. एन्टनी बनाम केरल राज्य के उक्त मामलों में एक पीड़ित व्यक्ति को काउन्टर केस दायर करने से रोका हो जैसा कि वर्तमान मामलें में।

ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बैंच ने टी.टी. एन्टनी (पूर्व) में निर्णय के पैराग्राफ 27 का उल्लेख किया जिसमें यह कहा गया कि नये सिरे से जांच का मामला जो दूसरी या लगातार एफआईआर के आधार पर है, एक काउन्टर-केस नहीं है, जो उसी लेनदेन के दौरान कथित रूप से किये गये उसी या उससे संबंधित संज्ञेय अपराध के संबंध में दर्ज किया गया है और जिसके संबंध मे पहली एफआईआर के अनुसार या तो जांच चल रही है या धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी

गयी है, यह संहिता की धारा 482 के तहत या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है। इसके बाद तीन जनों की बैंच ने इस प्रकार फैसला सुनाया:-

> "हमारी राय में उस मामले में इस अदालत ने केवल यह माना था कि मामला दर्ज होने के बाद उसी शिकायतकर्ता या अन्य द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ कोई भी आगे की शिकायत संहिता के तहत निषिद्ध है, क्यांेकि इस संबंध में जांच पहले से ही शुरू हो गयी होगी, और उसी आरोपी के खिलाफ आगे की शिकायत मूल शिकायत में उल्लेखित तथ्यों में सुधार होगी, इसलिए संहिता की धारा 162 के तहत निषिद्ध होगी। इस न्यायालय द्वारा देखा गया यह निषेध हमारी राय में पहली शिकायत मंे अभियुक्त द्वारा प्रति-शिकायत या उसकी ओर से उक्त घटना के एक अलग संस्करण का आरोप लगाने पर लागू नहीं होता है।"

18. ज्ञात हो कि उक्त फैसले में कारी चौधरी बनाम सीता देवी का संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह राय दी गयी है कि एक ही मामले के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ दो एफआईआर नहीं हो सकती है, लेकिन जब एक ही प्रकरण के संबंध में प्रतिद्वंदी संस्करण हो तो वे आम तौर पर दो अलग अलग एफआईआर का रूप ले लेंगे और उन दोनों के

तहत एक ही जांच एजेन्सी द्वारा जांच की जा सकती है। बिहार राज्य बनाम जे.ए.सी. सल्दान्हा में फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संहिता की धारा 156 (3) के तहत आगे की जांच को निर्देशित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र शक्ति है और यह राज्य सरकार की शक्ति के साथ टकराव में नहीं आती है, जैसा कि पुलिस अधिनियम की धारा 3 के तहत वर्णित है।

19. यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय ने रामलाल नारंग (पूर्व) मंे व्यक्त दृष्टिकोण पर भी विचार किया और इस प्रकार कहा:-

> "22. रामलाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में इस न्यायालय के फैसले के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि ऐसे मामलों में भी जहां पूर्व शिकायत पहले से ही दर्ज है, एक प्रति शिकायत की अनुमति है, लेकिन यह आगे बढ़ता है और कायम रहता है कि यहां तक कि उन मामलों में भी जहां पहली शिकायत पंजीकृत है, और जांच शुरू हो चुकी है तब जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर उसी शिकायतकर्ता द्वारा आगे की शिकायत दर्ज करना संभव है। बेशक, रामलाल नारंग मामले में दिये गये कानून के इस बड़े प्रस्ताव पर वर्तमान मामले में हमारे लिए भरोसा करना जरूरी नहीं है। यह कहना

पर्याप्त है कि रामलाल नारंग मामले में चर्चा उसी पंक्ति में है, जैसा कि कारी चौधरी और बिहार राज्य बनाम जे.ए.सी. सल्दान्हा के निर्णयों मे पाया गया है। , हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टी.टी. एन्टनी मामले में रामलाल नारंग मामले पर ध्यान दिया गया था, लेकिन न्यायालय ने किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं की।''

20. आगे समझाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर टी.टी. एन्टनी (पूर्व) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को इस तरह स्वीकार किया जाना है कि एक ही घटना के सबंध में एक प्रति शिकायत के रूप में दायर की गयी दूसरी शिकायत संहिता के तहत निषिद्ध है, तो इस तरह के निष्कर्ष से गंभीर परिणाम हो सकते है, जितना कि वास्तविक आरोपी झूंठी शिकायत दर्ज करने का पहला अवसर ले सकता है और यह क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा पंजीकृत करवा सकता है और फिर पीड़ित को शिकायत दर्ज करने से रोका जा सकता है।

21. पांडुरंग चन्द्रकांत म्हात्रे (पूर्व) में न्यायालय ने संदर्भ दिया-टी.टी. एन्टनी (पूर्व), रमेश बाबूराव देवसकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और विक्रम बनाम महाराष्ट्र राज्य और राय दी कि एक संज्ञेय अपराध करने के संबंध में सबसे प्रारंभिक जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए और यह आपराधिक कानून को गति प्रदान करती है और इस

आधार पर जांच शुरू होती है। हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट से घटनाओं का विश्वकोष होने की उम्मीद नहीं है, फिर भी पुलिस के लिए एक सूचना संहिता की धारा 154 (1) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के लिए इसमें घटना के कुछ आवश्यक और प्रासंगिक विवरण होने चाहिए। ऐसी जानकारी की प्रकृति और विवरण पर ध्यान दिये बिना किसी संज्ञेय अपराध के गठित होने के बारे में एक गुप्त जानकारी को एफआईआर नहीं माना जा सकता। इतना कहने के बाद बैंच ने सवाल उठाया कि क्या पी.डब्ल्यू.5 द्वारा दी गयी सामान्य डायरी में दर्ज घटना के संबंध में जानकारी संहिता की धारा 154 के अर्थ में प्रथम सूचना रिपोर्ट है और यदि हां तो यह संहिता की धारा 162 के तहत बाधित होगी। गौरतलब है कि तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने राय दी कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, घटनास्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस को दी गयी जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज करना जरूरी नहीं है।

22. बाबूभाई (पूर्व) में इस न्यायालय ने पहले के निर्णयो का सर्वेक्षण करने के बाद यह विचार व्यक्त किया कि अदालत को दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट को जन्म देने वाले तथ्यो और परिस्थितियों की जांच करनी है और समानता का परीक्षण यह पता लगाने के लिए लागू किया जाना है कि क्या दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित है या उन घटनाओं के संबंध में है जो एक ही लेनदेन के दो या दो से अधिक हिस्से हैं। यदि उत्तर सकारात्मक है तो दूसरी प्रथम सूचना

रिपोर्ट रद्द की जा सकती है, हालांकि यदि इसके विपरीत साबित होता है, जहां दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट का संस्करण अलग है और वे दो अलग अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में है तो दूसरी एफआईआर की अनुमति है। यदि पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी एक ही घटना के संबध्ंा मे एक अलग संस्करण या प्रतिदावे के साथ सामने आता है तो दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जांच होनी है।

23. यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त मामले में न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय सही ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दूसरी एफआईआर रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों प्र.सू.रि. में आरोप एक ही घटना से संबंधित थे जो समय के करीब एक ही स्थान पर गठित हुई थी और इसलिए वे एक ही लेन देन के दो हिस्से थें।

24. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि एक ही घटना के संबंध में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति नहीं है। समानता की अवधारणा को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया गया है। इसमें उसी या संबंधित संज्ञेय अपराध से संबंधित काउन्टर एफआईआर दर्ज करना शामिल नहीं है। जो निषिद्ध है वह संहिता के तहत मामले के पंजीकरण के बाद उसी शिकायतकर्ता और अन्य लोगों द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ कोई और शिकायत करना प्रतिबंधित है क्योंकि उस संबंध में एक जांच पहले से ही शुरू हो चुकी होगी और आगे की शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने से

मूल शिकायत में उल्लेखित तथ्यों में सुधार होगा, जैसा कि उपकार सिंह (पूर्व) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है कि निषेध पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा एक ही घटना के एक अलग संस्करण का आरोप लगाते हुए लगाये हुए आरोपों को कवर नहीं करता है। इस प्रकार एक ही घटना के संबंध में प्रतिद्वंदी संस्करण अलग-अलग आकार लेते हैं और उस स्थिति में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति है।

25. मौजूदा मामले में, अपीलकर्ताओं ने चार आरोपियों के खिलाफ फर्जी और धोखाधडी वाले दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर संख्या 274/2012 दर्ज कराई। दूसरी एफआईआर एक अन्य व्यक्ति के कहने पर संहिता की धारा 156 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देश के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आरोप लगाया गया कि वह बैठकों में उपस्थित नहीं था और ना ही उसने बैठकों के किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे और पांच आरोपी व्यक्तियों, अपीलकर्ता नंबर 01 सहित ने फर्जी दस्तावेज बनाये थे और उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर किये थे। एफआईआर नंबर 442/2012(जिसने अपराध संख्या 491/2012 को जन्म दिया) विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश के कारण दर्ज किया गया था। ज्ञात हो कि शिकायत सोसायटी के प्रबंधक निकाय के एक अन्य सदस्य द्वारा दायर की गई थी और आरोप

था कि बारह की संख्या में आरोपी व्यक्तियों ने एक षड्यंत्र में प्रवेश किया था और विभिन्न तिथियों पर आयोजित बैठकों में संबंधित जाली दस्तावेज तैयार किए थे। सोसायटी की संपत्ति/निधि हडपने के सामान्य इरादे से सोसायटी रजिस्ट्रार के समक्ष सदस्यों के हस्ताक्षरों में हेराफेरी करने और जाली दस्तावेज दायर करने का आरोप था। यदि आरोपी व्यक्तियों की संख्या और आरोपों की प्रकृति की संलिप्तता की जांच की जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर प्र.सू.रि. का एक अलग स्पेक्ट्रम होता है। लगाये गये आरोप अलग-अलग हैं। इसे एक जवाबी शिकायत के रूप में माना जा सकता है और यह नहीं कहा जा सकता कि पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल आरोपों को सुधारने का प्रयास किया गया है। यह कहना लगभग असंभव है कि समानता का सिद्धांत आकर्षित होता है। हम ऐसा सोचने के इच्छुक है, क्योंकि यदि उक्त सिद्धांत को मौजूदा मामले में लागू किया जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करके जांच को बाधित किया जाता है, तो अन्य दो प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता न्याय से वंचित हो जायेंगे। अपीलकर्ता ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। लेकिन यह अन्य पीड़ित व्यक्तियांे को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश के लिए अदालत में जाने से नहीं रोकता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता सहित अन्य आरोपी भी दस्तावेजों की जालसाजी और कूट रचना कर वैधानिक प्राधिकरण से लाभ प्राप्त करने में शामिल हैं। आखिरकार मुकदमा कैसे शुरू होगा और कैसे

खत्म होगा यह संबंधित अदालत पर निर्भर है। अपीलकर्ता या कोई अन्य शिकायतकर्ता या आरोपी व्यक्ति एक अदालत में मुकदमे के लिए उपयुक्त अदालत में जा सकते हैं। यह बिल्कुल दूसरा पहलू है, लेकिन यह कहना कि यह एक ही कारण और एक ही घटना से संबंधित दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट है और घटना की समानता है और मामले को सुधारने का प्रयास किया गया है, सही नहीं है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं और मानते हैं कि यह दलील चौथे प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट, दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट है और इसलिए रद्द होने योग्य है, स्वीकार्यता के योग्य नहीं है।

26. उपरोक्त आधारित कारणों को ध्यान में रखते हुए अपील तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीप्ति श्रीवास्तव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।